

कार्यालय प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)**  
**MADHYA PRADESH, AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002**

दिनांक – 30/06/2020

**कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER - 26**

इस कार्यालय से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री इकबाल शंकर श्रीवास्तव, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (01/6275) की प्रतिनियुक्ति अवधि में दिनांक 25.05.2020 से 24.05.2021 तक द्वितीय वर्ष के लिए विस्तार की स्वीकृति प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा विद्यमान शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है ।

Sanction for extension of the deputation period of Shri E.S.Srivastava, Sr. Audit Officer (01/6275), who is posted on deputation from this office to O/o Principal Accountant General (Audit-I) is accorded by the Principal Accountant General for the 2nd year from 25.05.2020 to 24.05.2021 under the existing conditions.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11

दिनांक – 30/06/2020

- 1 सचिव, प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 2 उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 3 उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)— प्रथम, मध्य प्रदेश,ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ।
- 4 उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र क्रमांक क्रमांक— प्रशा./फा.स. 731/8/161 दिनांक— 28-05-2020 के संदर्भ में ।
- 5 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन— 12,13,14, गोपनीय कक्ष एवं विधि कक्ष ।
- 6 भुगतान एवं लेखा अधिकारी प्रभारी पी.ए.ओ. 2/5, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम लेखा भवन, ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
- 7 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /आई. एस. एण्ड डी.ए.सी को इन्ट्रानेट पर Administration- Personnel लिंक एवं कार्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
- 8 श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय / स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
- 10 महामंत्री, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी एवं लेखापरीक्षा अधिकारी (ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन), ग्वालियर ।
- 11 संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा— प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।  
**हार्ड कॉपी के माध्यम से**
- 12 सूचना पटल/ऑडिट भवन ।
- 13 गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन— 11